

प्रेस नोट

दिनांक 15.06.2022

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा 15 हजार रुपये का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.06.2022 को प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा थाना संग्रामपुर व निरीक्षक आशीष कुमार वर्मा थाना संग्रामपुर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु तथा वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 76/22 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट भादवि में वांछित फरार चल रहे अभियुक्त शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ दीपू पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी दादूपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को रेलवे क्रासिंग सहजीपुर के पास से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 01 कारतूस 12 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित व 15 हजार रुपये का ईनामिया है । थाना संग्रामपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शैलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ दीपू पुत्र भानु प्रताप सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी दादूपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

- 01 तमंचा 01 कारतूस 12 बोर ।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 76/22 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 112/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 60/21 धारा 467,468,471,269,272 भादवि व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
- मु0अ0सं0 76/22 धारा 2/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
2. निरीक्षक आशीष कुमार वर्मा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 शेषबहादुर यादव थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 पुनीत खोखर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।
5. का0 योगेश कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी ।